न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:– मूलचन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00049 (292/2016)

मायादेवी पत्नि रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0) ---अपीलांट्

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र खेताराम जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
2. भंवर लाल पुत्र मोहनलाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
3. मुखराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
4. हंसराज पुत्र सोहनलाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
5. ज्ञानीराम पुत्र सोहन लाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
6. कालूराम पुत्र सोहन लाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
7. लिखमा राम पुत्र सोहनलाल जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान
8. रमेशकुमार पुत्र साहबराम नाबालिग जरिये कुदरती बली दादा मोहनलाल पुत्र खेताराम जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान

ममता पुत्री रिछपाल पुत्र साहबराम नाबालिग जरिये कुदरती बली दादा मोहनलाल पुत्र खेताराम जाति भाट नि0 गोलूवाला सिहागान

सत्यमेव जयते
Web Copy Not official

---रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण

10. बनवारी पुत्र सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
11. रामू पुत्र सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
12. रामेश्वर पुत्र सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
13. साहबराम पुत्र सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
14. ज्यानादेवी पुत्री सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
15. गुड्डी देवी पुत्री सहीराम जाति भाट नि0 7 ए छोटी तह0 व जिला गंगानगर
16. गीतादेवी पुत्री सहीराम पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट नि0 पक्काभादवा तहसील व जिला हनुमानगढ
17. मोहरादेवी पुत्री सहीराम पत्नि शेराराम जाति भाट निवासी पक्काभादवा तहसील व जिला हनुमानगढ
18. सुलतान पुत्र बहादराम जाति भाट निवासी 7 ए छोटी तहसील व जिला गंगानगर

---रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा दिनांक 12.06.2015 प्रकरण संख्या 60/2015

उपस्थितिः–

श्री रामस्वरूप नांदेवाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री विनोदकुमार पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णयः– दिनांकः–09.05.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 9 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के न्यायालय में पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 32 एल एल डब्लयु में 1.366 है, चक 33 एल एल डब्लयु में 8 बीघा 10 विस्वा व चक 34 एल एल डब्लयु में 21 बीघा तीनो चकों में कुल 32 बीघा 18 विस्वचा भूमि थी जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के पिता खेताराम का 1/2 हिस्सा व बहादरराम–सुरजा राम पुत्रगण राजधा कृष्ण उर्फ किशना का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज है। बहादरराम फौत हो चुके हैं जिनके हिस्सा की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है, सुरजाराम ने अपना समस्त हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 व 3 व उनके भाई सोहन लाल को जरिये बैयनामा विक्रय कर दिया। सोहन लाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है। राजस्व अभिलेख में सुरजा राम का नाम गलत दर्ज है। सुरजा राम ने अपना समस्त हक व हिस्सा अपने जीवन काल में विक्रय कर दिया, सुरजा राम फौत हो चुके है सुरजा राम के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 से 8 हैं। चक 34 एल एल डब्लयु की भूमि में सुरजाराम व उनके वारिसान का तथा चक 33 एल एल डब्लयु में बहादरराम व उनके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही है सुरजाराम ने अपना समस्त हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा सोहन लाल को विक्रय कर दिया तथा बहादरराम को अपना तमाम हिस्सा चक 34 एल एल डब्लयु में प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पर वर्षो से अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्सा की भूमि बाबत एक दावा अनवानी सहीराम आदि बनाम सन्तोदेवी आदि प्रस्तुत किया व बंटवारा में चक 34 एल एल डब्लयु की भूमि प्राप्त होने के कब्जा किये जिसका कोई विरोध नही था व दावा दायरी के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चक 33 एल एल डब्लयु की .411 हैक्टयर भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाते हुए उक्त भूमि का कतई गलत बैचान कर दिया जबकि चक 33 एल एल डब्लयु की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है उक्त बैचान कतई गलत है व प्रार्थीगण के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अधिकारों पर प्रभावहीन है। चक 33 एल एल डब्लयु की भूमि गत् 40 वर्षो से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हैं। अप्रार्थीगण अभिलेख में हुए गलत अंकन के आधार पर उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन काबिज होना चाहते हैं अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि चवक 33 एस एल डब्लयु की 1.644 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने व करवाने से ममनू व बाज रहे। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र मय प्रति प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किये कि चक 33 एल एल डब्लयु की 1.644 हैक्टयर भूमि में बहादरराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का .411 हैक्टयर भूमि का हक व अधिकार था जिसे अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने जरिये बैयनामा खरीद किया है व खरीद के बाद उक्त भूमि का नामांतरण भी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज हो चुका है व कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास बैयनामा के समय से चला आ रहा है। बैयनामा साधिकार है, पंजीकृत बैयनामा किसी भी प्रकार से शुन्य दस्तावेज नही है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की खरीदशुदा कब्जा काश्त की भूमि से हम अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व प्रति प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत् भूमि में प्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे व अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त में रूकावट पैदा नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 12.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में दोनो पक्षों को ताफैंसला वाद तक मौका–एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि चक 33 एल एल डब्लयु की प्रश्नगत् भूमि अपीलांट द्वारा सप्रतिफल जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा खरीद की गई थी व खरीद की समय से प्रश्नगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई हेत तारीख पेशी 14.05.2015 तय की हुई थी लेकिन उक्त पेशी पर कोई कार्यवाही नही हुई तथा न ही पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत हुई तत्श्चात दिनांक 12.06.2015 को प्रार्थी/अपीलांटा को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलांटा की अनुपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट के हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। अपीलाधीन आदेश की आड में रेस्पोडैन्ट प्रार्थी/अपीलांट की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खरीदशुदा कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी दे रहे है व प्रार्थीया/अपीलांट को काश्त में बाधा कारित कर रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति का आंकलन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में भी नही आता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बांछित अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि में बहादरराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हक व अधिकार तथा दखल नही था व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद में यह स्वीकार भी किया गया है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा करवाया गया अपीलांटा के पक्ष में बैयनामा शुरू से ही शुन्य दस्तावेज है। अपीलांटा का प्रश्नगत् भूमि पर कब्जा कोई कब्जा नही रहा है तथा न ही आज कोई कब्जा है, प्रश्नगत भूमि सोहन लाल व उसके पुत्रों के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्ररम्भतः शुन्य दस्तावेज के आधार पर अपीलांट का कोई हित प्राप्त नही होते, अपीलांटा कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए यथास्थिति का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी पत्रावलीयों में सम्बन्धित पंचायत में सुनवाई की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी जिससे यह नही कहा जा सकता कि अपीलांट को राजस्व लोक अदालत का ज्ञान नही रहा हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली में आये तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् चक 33 एल एल डब्ल्यु की भूमि को शामिल करते हुए बहादरराम के वारिसान सहीराम व सुलतान ने एक वाद–पत्र बअनवानी सहीराम आदि बनाम सन्तोदवी आदि न्यायालय सहायक कलैक्टर, पीलीबंगा के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त वाद–पत्र में बहादुरराम के वारिसान ने घरूबंटवारा में चक 34 एल

एल डब्लयु की भूमि मिलने के कथन किये हैं तथा चक 33 एल एल डब्लयु में बहादुर राम का 1/4 हिस्सा कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट के नाम विवादग्रस्त भूम को क्रय करने पर खातेदार दर्ज हुई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 18 एक ही परिवार के सदस्य हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 10 ता 17 के पिता सहीराम एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 18 सुलतान व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3, रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 9 के पिता/पूर्वज सोहनलाल व अन्य मध्य पूर्व में घोषणा एवं विभाजन का वाद चलने के दस्तावेज की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इस दावा की प्लीडिंग में वादीगण सहीराम, सुलतान ने अंकित किया है कि बहादुरराम एवं वादीगण चक 33 एलएलडब्ल्यू में कोइ हक, हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है परन्तु इस चक में बहादरराम 1/4 हिस्सा दर्ज है। बहादुरराम का समस्त हिस्सा चक 34 एलएलडब्ल्यू में है। वर्तमान विवाद सहीराम एवं सुलतान द्वारा चक 33 एलएलडब्ल्यू की भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में करने की वजह से शुरू हुआ है। अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेज के प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेतागण ने विक्रय की गई भूमि पर अपना कब्जा नही होना अपने विभाजन एवं घोषणा के पूर्व में वाद पत्र में अंकित किया है। अपीलाण्ट एक अजनबी क्रेता है, जिसने चक 33 एलएलडबल्यू की भूमि के हिस्से को दौराने वाद क्रय किया है जिस पर विक्रेता का कब्जा नहीं होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, जिससे यह भी प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट क्रेता द्वारा मौके पर क्रय के समय कब्जा प्राप्त नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण नही कर, प्रकरण के तथ्यों पर विचार किए बिना दोनों पक्षों को ताफैसला पाबन्द किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेण्ट को पाबन्द करना उचित नहीं था। हालांकि विवाद के सभी बिन्दूओं का निर्धारण दावा में साक्ष्य के परीक्षण के आधार पर किया जाना है किन्तु इस स्तर पर अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन नही है और रेस्पोडेण्ट को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

09/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व अपील अधिकारी